

स्कूल शिक्षा विभाग और एचडीएफसी बैंक के बीच नःशुल्क बीमा योजना के लिये समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों?

17 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल की उपस्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एचडीएफसी बैंक के साथ नःशुल्क बीमा योजना के लिये समझौता ज्ञापन करार किया गया।

प्रमुख बंदि

- समझौता ज्ञापन के तहत यदकिर्मचारी अपने वेतन खाते को एचडीएफसी बैंक में स्थानांतरित करवाता है तो उसे बदले में अनेक लाभ मुफ्त में मलिंगे, जसिमें 50 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा भी शामिल है।
- स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने एचडीएफसी बैंक के साथ हुए एमओयू के उपरान्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एचडीएफसी बैंक द्वारा सीएसआर कार्यक्रम के तहत राज्य के 103 वदियालयों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करने के लिये भी समझौता किया गया है।
- स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के कल्याणार्थ बीमा योजना को शुरू किया गया है। यह एक स्वैच्छिक योजना है जसिमें कर्मचारी यदअपनी इच्छा से एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवाता है, तो उसे यह लाभ मलिंगा।
- यदकिसी दुर्घटना के दौरान कोई कर्मचारी आंशिक/पूर्ण रूप से दवियांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे 50 लाख रुपए का नःशुल्क बीमा मलिंगा।
- स्थायी कुल दवियांगता, स्थायी और लाइलाज पागलपन, दो अंगों का स्थायी नुकसान, दोनों आँखों की रोशनी का स्थायी नुकसान, एक आँख और एक अंग की स्थायी कुल हानि, बोलने की स्थायी कुल हानि, नचिले जबड़े का पूर्ण नषिकासन और मैस्टिकेशन का स्थायी कुल नुकसान की स्थिति में 100 प्रतिशत दावा किया जाएगा।
- इसके अतरिकित-
 - पूर्णकालिक सहायता के बनिा जीवन के लिये आवश्यक दैनिक गतविधियाँ, दोनों कानों से सुनने की स्थायी कुल हानि पर 75 प्रतिशत,
 - एक अंग का स्थायी कुल नुकसान पर 50 प्रतिशत,
 - एक आँख की दृष्टि की स्थायी कुल हानि पर 50 प्रतिशत,
 - एक कान से सुनने की स्थायी कुल हानि पर 15 प्रतिशत,
 - एक आँख में लेंस का स्थायी कुल नुकसान पर 25 प्रतिशत,
 - कसिी भी हाथ की चार अंगुलियों और अंगूठे के उपयोग का स्थायी कुल नुकसान पर 40 प्रतिशत,
 - कसिी भी हाथ की चार अंगुलियों के उपयोग का स्थायी कुल नुकसान पर 20 प्रतिशत,
 - कसिी भी हाथ के एक अंगूठे के उपयोग की स्थायी कुल हानिक्रमशः दोनों जोड़ पर 20 प्रतिशत व एक जोड़ पर 10 प्रतिशत,
 - कसिी भी हाथ की एक उंगली का स्थायी कुल नुकसान क्रमशः तीन जोड़ पर 5 प्रतिशत, दो जोड़ पर 3.5 प्रतिशत व एक जोड़ पर 2 प्रतिशत,
 - पैर की उंगलियों के उपयोग का स्थायी कुल नुकसान क्रमशः ऑल-वन फुट पर 15 प्रतिशत, बगि-दोनों जोड़ पर 5 प्रतिशत, बड़ा-एक जोड़ पर 2 प्रतिशत
 - कोहनी, कूलहे या घुटने का एंक्लिसिस होने पर 20 प्रतिशत लाभ मलिंगा।
- इसके अलावा, खाता धारक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके अवयस्क बच्चे को 4 लाख रुपए का शिक्षा लाभ भी मलिंगा।
- अनुबंधित कर्मचारी यदबैंक में वेतन खाताधारक बनता है तो उसे भी 15 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा नःशुल्क मलिंगा। इसके अतरिकित जीरो बैलेंस खाता तथा असीमति एटीएम का उपयोग शामिल है।